RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक १८] गुरुवार ते बुधवार, जून १-७, २०१७/ज्येष्ठ ११-१७, शके १९३९ [पृष्ठे १९
किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२, सन् २०१५.— महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३, सन् २०१५.— महाराष्ट्र नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४, सन् २०१५.— महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	११
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५, सन् २०१५.— महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	१३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६, सन् २०१५.— महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	१५

MAHARASHTRA ACT No. XLII OF 2015.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (THIRD AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३० दिसंबर, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधि विधान)
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ सन् २०१५।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ३१ दिसम्बर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमे आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५, २९ अगस्त २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९६६ का महा. ३७ । सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १७ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह २२ अप्रैल २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ३७ में धारा २६क की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २६ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का ३७ ।

विकास योजना का पुनरीक्षित प्रारूप।

" **२६क.** (१) धारा २३, २५ और २६ में किसी नियत समय-सीमा के होते हुये भी, राज्य सरकार, प्रारुप विकास योजना की तैयारी के किन्हीं स्तर पर, अधिकतम लोक हित में और अभिलिखित किये जाये ऐसे कारणों के लिये, आदेश द्वारा, योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी को, पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना तैयार करने का निदेश दे सकेगी। जारी किये गये ऐसे आदेश पर, संबंधित योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना, धारा २६ द्वारा यथा उपबंधित रित्या आदेश में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रकाशित कर सकेगा :

परंतु, राज्य सरकार या तो **स्व-प्रेरणा से** या आदेश द्वारा, योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी से आवेदन पर और उसमें अभिलिखित किये गये कारणों के लिये पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन के लिये उक्त समय-सीमा विस्तारीत कर सकेगी।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १८।

सन् २०१५ का महा. ।

(२) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता हे कि, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारम्भण याने २२ अप्रैल २०१५ के प्रारम्भण की अवधि के दौरान और **राजपत्र** में, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ के प्रकाशन के दिनांक याने २९ अगस्त २०१५ की समाप्ति तक योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा जारी किया कोई निदेश, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा। "

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १८ का निरसन और व्यावृत्ति।

सन् २०१५ का महा. अद्या. क्र. १८।

३. (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतिय संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना आदेश या निर्देशों समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

सन् १९४८ का ६३ की धारा १०५ में संशोधन।

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ सन २०१५।

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें, इसमे आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिये महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५, २९ अगस्त २०१५ का प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९६६ का महा. ३७। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १७।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए। सन् १९६६ का महा. ३७।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण। **१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह २९ अगस्त २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ४० में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ४० की उप-धारा (३) के खण्ड (ङ) में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन " शब्दों तथा अंको को रखा जाएगा। सन् १९६६ का महा. ३७। सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

३. मूल अधिनियम की धारा ११३क में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा। सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ११३क में संशोधन।

सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

४. मूल अधिनियम की धारा ११६ में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा। सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ११६ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १२५ में,— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १२५ में संशोधन।

सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(एक) " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अर्थांतर्गत " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के अर्थांतर्गत " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा।

(दो) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

सन् २०१३ का ३०।

" परंतु, भूमि अर्जन पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धाराएँ ४ से १५ में (दोनों को सम्मिलित करके) विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, ऐसी भूमियों के संबंध में लागू नहीं होगी। "।

६. मूल अधिनियम की धारा १२६ में,— सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १२६ में संशोधन।

(एक) उप-धारा (१) के,—

सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(क) खण्ड (ख) में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में अधिकथित सिद्धांतों के आधार पर " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के सिद्धांतों के आधार पर " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा ;

सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(ख) खण्ड (ग) में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता के अधिकार के उपबंधो के अधीन " शब्द तथा अंक रखे जाएँगे ;

सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(ग) " या भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन " शब्दों के स्थान में, " या भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित तथा पारदर्शकता के अधिकार अधिनियम, २०१३ के अधीन " शब्दों तथा अंको को रखा जाएँगे।

सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(दो) उप-धारा (२) में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ६ में उपबंधित रीत्या " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " या भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता के अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा १९ में अधिकथित रीत्या " शब्द तथा अंक रखे जाएँगे।

(तीन) उप-धारा (३) में, " धारा ६ " शब्द तथा अंक के स्थान में " धारा १९ " शब्द तथा अंक रखे जाएँगे।

सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(चार) उप-धारा (४) में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के अधीन " शब्दों तथा अंको को रखा जाएगा।

७. मूल अधिनियम की धारा १२७ की, उप-धारा (१) में, " बारह महिने " शब्दों के स्थान में " चोबीस महिने " शब्द रखे जाएँगे। सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १२७ में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १२८ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा १२८ की,—

(एक) उप-धारा (१) में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबंधों के अधीन " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा ; सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(दो) उप-धारा (२) में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबंधों के अधीन " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, जहाँ कहीं वे दोनों स्थानों पर आते हो, वहाँ, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के अधीन " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा ; सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(तीन) उप-धारा (३) में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धाराएँ १६ या १७ " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ धाराएँ ३८ या ४० " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा। सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १२९ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा १२९ में,—

(एक) उप-धारा (१) में,–

(क) " उस प्राधिकरण द्वारा लोकहित में" शब्दों के स्थान में, " राज्य सरकार के अनुमोदन से उस प्राधिकरण द्वारा, भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदाओं के लिए या किसी अन्य आपात स्थिति के लिए" शब्दों को रखा जाएगा ;

(ख) परंतुक में, " भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा २४ में " शब्दों तथा अंको के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा २८ में " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा। सन् १८९४ का १। सन् २०१३ का ३०।

(दो) उप-धारा (२) में, " प्रतिकर की रकम पर, प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत ब्याज " शब्दों तथा अंक के स्थान में, " भूमि अर्जन, पुनर्वसन तथा पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शकता के अधिकार अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अनुसार ब्याज तथा अन्य प्रतिकर " शब्दों तथा अंकों को रखा जाएगा। सन् २०१३ का ३०।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १७ का निरसन।

१०. (एक) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १७।

(दो) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा, त्या यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLIII OF 2015.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS (THIRD AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३० दिसंबर २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधिविधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLIII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT, 2015.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३१ दिसंबर २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुम्बई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १९।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमे आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुम्बई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, ५ अक्तुबर २०१५ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ५ अक्तूबर २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

मुम्बई नगर निगम अधिनियम मे संशोधन

सन् १८८८ का ३ की धारा १६ में संशोधन।

२. मुम्बई नगर निगम अधिनियम की धारा १६ की उप-धारा (१क) के बाद, निम्न उप-धाराएँ निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

" (१ख) (क) कोई व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के नागरिकों (जिसे इसमें आगे " आरक्षित प्रवर्ग " कहा गया है) से संबंधित सदस्यों के लिए आरक्षित सीट पर झुटे दावे या वह व्यक्ति ऐसे आरक्षित प्रवर्ग का है ऐसा घोषित करनेवाले झुठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पार्षद के रूप में, निर्वाचित हुआ था यदि ऐसा आदेश संबंधित प्राधिकारी ने धारा १८ या, यथास्थिति, धारा ३३ के अधीन पारित किया है तो कोई व्यक्ति पार्षद होने से या पार्षद के रुप में, चुने जाने के लिए चुनाव लड़ने से छह वर्षों की कालावधि के लिए निरर्ह होगा। सन् १८८८ का ३।

(ख) ऐसी निरर्हता की कालावधि, संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के दिनांक से परिगणित की जायेगी।

(१ग) (क) उप-धारा (१ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पार्षद जो उप-धारा (१ख) में उल्लिखित आरक्षित सीट पर निर्वाचित हुआ है तो वह, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जातियाँ) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े प्रवर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० की धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन गठित संबंधित संविक्षा समिति या जाति प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसे पार्षद का जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित किया जाता है और ऐसी व्यक्ति द्वारा झुठे दावे या आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित होने की घोषणा का झुठे दावा करने पर उसे इस आदार पर रद्द करने के लिये उक्त संविक्षा समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र अवैध घोषित करने और रद्द करने के दिनांक को और से, पार्षद ने अपना पद रिक्त किया है ऐसा समझा जायेगा। सन् २००१ का महा. २३।

(ख) कोई व्यक्ति, पार्षद होने से अनर्ह होने पर और परिणामस्वरुप, ऐसे पार्षद का पद खण्ड (क) के अधीन रिक्त होने पर, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदेश के दिनांक से छह वर्षों की कालावधि के लिए पार्षद के रुप में निर्वाचन लड़ने या पार्षद बने रहने से निरर्ह ठहरायेगी। "।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन् १९४९ का ५९ की धारा १० में संशोधन।

३. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (१क) के बाद, निम्न उप-धाराएँ निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :– सन् १९४९ का ५९।

" (१ख) (क) कोई व्यक्ति, अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के नागरिकों (जिसे इसमें आगे " आरक्षित प्रवर्ग " कहा गया है) से संबंधित सदस्यों के लिए आरक्षित सीट पर झुठे दावे या वह व्यक्ति ऐसे आरक्षित प्रवर्ग का है ऐसा घोषित करनेवाले झुठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पार्षद के रूप में, निर्वाचित हुआ था यदि ऐसा आदेश संबंधित प्राधिकारी ने धारा १२ या, यथास्थिति, धारा १६ के अधीन पारित किया है तो कोई व्यक्ति पार्षद होने से या पार्षद के रुप में, चुने जाने के लिए चुनाव लड़ने से छह वर्षों की कालावधि के लिए निरर्ह होगा।

(ख) ऐसी निरर्हता की कालावधि, संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के दिनांक से परिगणित की जायेगी।

(१ग) (क) उप-धारा (१ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पार्षद जो उप-धारा (१ख) में उल्लिखित सीट पर निर्वाचित हुआ है तो वह, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जातियाँ) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े प्रवर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० की धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन गठित संबंधित संवीक्षा समिति या जाति प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करने के प्रयोजन के लिए, करने राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसे पार्षद का जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित किया जाता है और ऐसी व्यक्ति द्वारा झुठे दावे या आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित होने की घोषणा का झुठा दावा करने पर उसे इस आधार पर रद्द करने के लिये उक्त संवीक्षा समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र अवैध घोषित करने और रद्द करने के दिनांक को और से, पार्षद ने अपना पद रिक्त किया है ऐसा समझा जायेगा।

सन् २००१ का महा. २३।

(ख) कोई व्यक्ति, पार्षद होने से अनर्ह होने पर और परिणामस्वरुप, ऐसे पार्षद का पद खण्ड (क) के अधीन रिक्त होने पर, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदेश के दिनांक से छह वर्षों की कालावधि के लिए पार्षद के रुप में निर्वाचन लडने या पार्षद बने रहने से निरर्ह ठहरायेगी। ”।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

४. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा १६ की उप-धारा (१क) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १६ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४०।

“ (१ख) (क) कोई व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के नागरिकों (जिसे इसमें आगे “ आरक्षित प्रवर्ग ” कहा गया है) से संबंधित सदस्यों के लिए आरक्षित सीट पर झुठे दावे या वह व्यक्ति ऐसे आरक्षित प्रवर्ग का है ऐसा घोषित करनेवाले झुठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर पार्षद के रूप में निर्वाचित हुआ था यदि ऐसा आदेश संबंधित प्राधिकारी ने धारा २१ या, यथास्थिति, धारा ४४ के अधीन पारित किया गया है तो कोई व्यक्ति पार्षद होने से या पार्षद के रुप में, चुने जाने के लिए चुनाव लडने से छह वर्षों की कालावधि के लिए निरर्ह होगा।

(ख) ऐसी निरर्हता की अवधि, संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के दिनांक से परिगणित की जायेगी।

(१ग) (क) उप-धारा (१ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पार्षद जो उप-धारा (१ख) में उल्लिखित आरक्षित सीट पर निर्वाचित हुआ है तो वह, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जातियाँ) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े प्रवर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० की धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन गठित संबंधित संवीक्षा समिति या के जाति प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसे पार्षद का जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित किया जाता है और ऐसी व्यक्ति द्वारा झुठे दावे या आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित होने की घोषणा का झुठा दावा करने पर उसे इस आधार पर रद्द करने के लिये उक्त संवीक्षा समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र अवैध घोषित करने और रद्द करने के दिनांक को और से, पार्षद ने अपना पद रिक्त किया है ऐसा समझा जायेगा।

सन् २००१ का महा. २३।

(ख) कोई व्यक्ति, पार्षद होने से अनर्ह होने पर और परिणाम स्वरुप, ऐसे पार्षद का पद खण्ड (क) के अधीन रिक्त होने पर, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आदेश के दिनांक से छह वर्षों की कालावधि के लिए पार्षद के रुप में निर्वाचन लडने या पार्षद बने रहने से निरर्ह ठहरायेगी। ”।

अध्याय पाँच

विविध

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

५. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, के उपबंधों के प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो **राजपत्र** मे प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन्‌ असंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : सन्‌ १८८८ का ३। सन्‌ १९४९ का ५९। सन्‌ १९६५ का महा. ४०।

परंतु, ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्‌, नही बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्‌, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन्‌ २०१५ का महा. अध्या. क्र. १९ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

६. (१) महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन), अध्यादेश, २०१५, एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है। सन्‌ २०१५ का महा. अध्या. क्र. १९।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन्‌ १८८८ का ३। सन्‌ १९४९ का ५९। सन्‌ १९६५ का महा. ४०।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLIV OF 2015.

THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३० दिसंबर, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLIV OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES ACT, 1994.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३१ दिसंबर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०१५, ३० अक्तूबर २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९९४ का महा. ३५।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. २०।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ३० अक्तूबर २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९९४ का महा. ३५ की धारा ८२ में संशोधन।

सन् १९९४ का महा. ३५।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ८२ की, उप-धारा (३) में, निम्नलिखित परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, सन् २०१६-२०१७ के अकादमिक वर्ष से उच्चतर अध्यापन के नए महाविद्यालय या संस्था शुरू करने की अनुमति लेने के लिए प्रबंधमंडल, ३१ दिसंबर २०१५ को या के पूर्व विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को विहित प्रारूप में आवेदन करेगा। "।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. २० का निरसन तथा व्यावृत्ति।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. २०।

३. (१) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLV OF 2015.

THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३० दिसंबर २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधिविधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLV OF 2015.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2014.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३१ दिसंबर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् २०१४ का महा. ६।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमे आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; **और, इसलिए,** महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अद्यादेश, २०१५, १० नवंबर २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०१५ का महा. अध्या. २१।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बताया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह १० नवंबर २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१४ का महा. ६ की धारा २८ में संशोधन।

सन् २०१४ का महा. ६।

२. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २८ की, उप-धारा (३) के स्थान में निम्नलिखित उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (३) (क) कुलपति, ऐसी व्यक्ति होगी जो,—

(एक) कोई अकादमिशियन है ; और

(दो) या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पद पर महाविद्यालय में विधि का प्राध्यापक है या विश्वविद्यालय में विधि का प्राध्यापक है ;

(ख) कुलपति, पाँच वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसकी कार्यकारी परिषद द्वारा उस प्रभाव के लिए संकल्प द्वारा पाँच वर्षों की पदावधि के लिए या उसकी आयु के पैंसठ वर्षों की सेवा तक जो भी पहले हो, नवीकरणीय की जायेगी।

(ग) खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, उनके उत्तराधिकारी, उस पद को ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, विश्वविद्यालय का निबन्धन का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २ का खंड (च) में यथा समुनदेशित समान अर्थ से होगा।". सन् १९५६ का ३।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. २१ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. २१।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLVI OF 2015.

THE MAHARASHTRA ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १० दिसंबर, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधिविधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLVI OF 2015.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 1981.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३१ दिसंबर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८१ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १९८१ का महा. ६१।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८१ में संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा २ में संशोधन।

सन् १९८१ का महा. ६१।

२. महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,—

(क) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (क) " अधिवक्ता " का तात्पर्य, व्यक्ति, जिसका नाम, अधिवक्ता अधिनियम की धारा १७ के अधीन महाराष्ट्र और गोवा की विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार तथा पोषित किए गए अधिवक्ता पंजी में दर्ज किया गया हो और जो महाराष्ट्र राज्य में अधिवास करता हो और किसी विधिज्ञ संघ का सदस्य हो, से है ;";

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

सन् २०१५ का महा. ४६।

" (गक) " संशोधन अधिनियम " का तात्पर्य महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५, से है ;";

(ग) खण्ड (ङ) में, " महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद " शब्दों के पश्चात्, " और गोवा " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(घ) खण्ड (छ) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (छ) " आश्रित " का तात्पर्य, पत्नी, पति, पिता, माता नाबालिग बच्चों या कोई विविहित बेटी, जो तलाकशुदा है, या जो निधि के सदस्य पर आश्रित है, से है ;";

(ङ) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :–

" (छक) " निधि का विद्यमान सदस्य " का तात्पर्य, अधिवक्ता, जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर निधि का सदस्य है, से है ;";

" (छख) " निधि " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन गठित अधिवक्ता कल्याण निधि से है ;";

(च) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ञक) " निधि से सेवानिवृत्ति " का तात्पर्य, निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पंद्रह वर्षों के लिए, सदस्य बनने के पश्चात्, निधि के किसी सदस्य की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, से है ;";

(छ) खण्ड (ण) में, " चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये " शब्दों के पश्चात् " और कोई प्राधिकारी पत्र सम्मिलित होगा " शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा ३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (ञ) में " वार्षिक " शब्द अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १२ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १२ की, उप-धारा (६) में, " उप-धारा (५) " शब्दों, कोष्टकों और अंकों के पश्चात्, " यथासंभव शीघ्र, किंतु, किसी मामले में, ऐसी लेखा रिपोर्ट की प्राप्ति या निदेशों के दिनांक से तीन महिने की अवधि के भीतर " शब्द जोडे जायेंगे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १५ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १५ की, उप-धारा (२) में, " प्रत्येक विधिज्ञ परिषद " शब्दों के पश्चात्, " धारा १४ की उप-धारा (१) के अनुसार मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत " शब्द, कोष्टक तथा अंक निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १६ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा १६ की,–

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " लागू हो सकेंगे " शब्दों के स्थान में, " लागू होंगे " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, प्रत्येक अधिवक्ता जो, संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर निधि का विद्यमान सदस्य नहीं है, वह उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन करेगा। " ;

(ख) उप-धारा (३) में,—

(एक) खण्ड (एक) में, " बारह वर्षों या अधिक अवधि के लिये, दो सौ रुपये होंगे " शब्दों के स्थान में, " दस वर्षों या अधिक अवधि के लिये, एक हजार रुपये होंगे " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (दो) में, " बारह वर्षों से कम अवधि के लिये, सौ रुपये होंगे " शब्दों के स्थान में, " दस वर्षों से कम अवधि के लिये, पाँच सौ रुपये होंगे " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) " और ऐसे आवेदन " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " आवेदन के साथ देय " शब्दों से समाप्त होनेवाला प्रभाग अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) उप-धारा (४) में, " भुगतान की गयी प्रवेश फीस की पहली किश्त " शब्दों के स्थान में " भुगतान की गई आवेदन फीस " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (५) और (६) के स्थान में, निम्न उप-धाराएँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

" (५) निधि का प्रत्येक सदस्य, निम्न रित्या में अंशदान के रूप में केवल दस हजार रुपये भुगतान करेगा, अर्थात् :—

(एक) जब अधिवक्ता का अनुभव, निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के समय दस या अधिक वर्षों का हो, तब वह उक्त रकम एक ही समय में एकमुश्त में भुगतान करेगा ;

(दो) जब अधिवक्ता का अनुभव, निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के समय दस वर्षों से कम हो, तब वह उक्त रकम एकमुश्त में या चार समान वार्षिक किश्तों में शर्त के साथ कि, पहली किश्त के भुगतान के पश्चात् शेष तीन किश्तें, उत्तरवर्ती तीन वर्षों में, सम दिनांक पर देय होगी :

परंतु, निधि के विद्यमान सदस्य, उक्त अंशदान की रकम, का, संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व उनके द्वारा भुगतान की गई वार्षिक अंशदान की कटौती के पश्चात् भुगतान करेगा।

परंतु आगे यह कि, संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक के पश्चात्,—

(क) विद्यमान सदस्यों का अनुभव उक्त दिनांक पर दस या अधिक वर्षों का हो तो, ऐसे प्रारंभण से एक वर्ष के भीतर, बकाया अंशदान का भुगतान करेगा ; और

(ख) विद्यमान सदस्यों का अनुभव उक्त दिनांक पर दस वर्षों से कम हो तो, बकाया अंशदान एकमुश्त में या चार समान किश्तों में, शर्त के साथ कि, पहली किश्त का ऐसे प्रारंभण के एक वर्ष के भीतर भुगतान करेगा और शेष तीन किश्ते उत्तरवर्ती तीन वर्षों में, सम दिनांक पर देय होगी।

(६) यदि, कोई अधिवक्ता उप-धारा (५) में, अधिकथित रित्या में एकमुश्त अंशदान या, यथास्थिति, किश्त का भुगतान करने में विफल होता है, तब ऐसा अधिवक्ता, देय दिनांक से भुगतान के दिनांक तक की अदायगी न करने की अवधि के लिये प्रति माह रुपये पचास के शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा। " ;

(ङ) उप-धारा (७) में,—

(एक) " वार्षिक " शब्द अपमार्जित किया जाएगा।

(दो) " अर्ध वार्षिक " शब्द अपमार्जित किया जाएगा।

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में,— सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १७ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, परंतुक, अपमार्जित किया जाएगा ;

(ख) उप-धाराएँ (२), (३) और (४) के स्थान में निम्न उप-धाराएँ, रखी जाएँगी, अर्थात् :—

" (२) (क) अनुसूची में यथावर्णित रकम की निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के दिनांक से पंद्रह वर्षों की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय पर निधि का सदस्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र तथा हकदार होगा।

(ख) यदि कोई सदस्य, निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के दिनांक से पंद्रह वर्षों की समाप्ति से पहले किसी भी समय पर सेनानिवृत्ति लाभों के लिए विकल्प चुनता है तब वह केवल उस रकम के प्रतिदाय के लिए हकदार होगा जो कि उसने अदायगी के दिनांक से निधि से उनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक तक वार्षिक ६ प्रतिशत दर पर ब्याज के साथ न्यासी समिति से अभिदान के रूप में भुगतान किया है।

(ग) व्यवसाय की स्थायी समाप्ति के परिणाम स्वरूप स्थायी निःशक्तता से त्रस्त सदस्य को निधि की उसकी सदस्यता के पंद्रह वर्षों की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति दी जाएगी और अनुसूची में यथावर्णित रकम की प्राप्ति के लिए वह हकदार होगा।

(३) ऐसे सदस्य के बारे में जिसकी मृत्यु उसके निधि में प्रवेश पाने के पंद्रह वर्षों की अवधि के भीतर हुई हो, उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या, यथास्थिति, उसका विधिक वारिस अनुसूची में यथावर्णित दर पर रकम पाने के लिए हकदार होगा।

(४) संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के पश्चात्, यदि निधि का विद्यमान सदस्य, एक समय में देय अभिदान के पुनरीक्षित दर के आधार पर और धारा १६ की उप-धारा (५) में उपबंधित रीति में परिकालित उसके देय या उसके अभिदान के शेष एकमुश्त राशि में या किस्तों में भुगतान नहीं करता है और धारा १६ की उप-धारा (६) के अधीन दंड का भुगतान करने में वह असफल होता है तब वह उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर निधि से निवृत्त हुआ समझा जाएगा और ऐसे निवृत्त समझे गए मामले में,–

उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व यथा विद्यमान इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के उपबंधों द्वारा यथा उपबंधित लाभों के लिए,—

(एक) ऐसा सदस्य हकदार होगा ; या

(दो) ऐसे सदस्य की मृत्यु के मामले में, उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या पारिवारिक सदस्य हकदार होंगे।";

(ग) उप-धारा (५) अपमार्जित की जाएगी ;

(घ) उप-धारा (७) अपमार्जित की जाएगी ;

(ङ) उप-धारा (८) में,—

(एक) " या (७) " शब्द, कोष्ठक तथा अंक अपमार्जित किए जाएँगे ;

(दो) " जैसा कि वह आवश्यक समझा है " शब्दों के पश्चात्, " उक्त आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन महीनों की अवधि के भीतर तथा प्रतिदाय, यदि कोई हो, यथासंभव शीघ्र दिया जाएगा " शब्द जोडे जाऐंगे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १८ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा १८ की,—

(क) उप-धारा (१) में, " दो रूपये " शब्दों के स्थान में, " बीस रूपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में, " केवल निधि के सदस्यों को " शब्दों के पश्चात् " विधिज्ञ संघ के या अधिवक्ताओं की ऋण उपभोक्ता संस्था या, यथास्थिति, विहित किसी अन्य अभिकरण के ज़रिए, " शब्द जोड़े जाऐंगे ;

(ग) उप-धारा (४) में विधिज्ञ संघो के जरिए शब्दों के पश्चात् अधिवक्ताँओं की ऋण उपभोक्ता संस्था या, यथास्थिति, विहित कोई अन्य अभिकरण, शब्द जोड़ा जाएगा ;

(घ) उप-धारा (५) में, " विधिज्ञ संघों " शब्दों का पश्चात्, " अधिवक्ताओं की ऋण उपभोक्ता संस्था या यथास्थिति, विहित कोई अन्य अभिकरण, " शब्द निविष्ट किये जाऐंगे ;

(ड) उप-धारा (६) में, " विधिज्ञ संघों " शब्दों के पश्चात् " अधिवक्ताओं की ऋण उपभोक्ता संस्था या, यथास्थिति, विहित कोई अन्य अभिकरण, " शब्द निविष्ट किये जाएँगे ;

९. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान में, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— सन् १९८१ का महा. ६१ की अनुसूची का प्रतिस्थापन।

" अनुसूची

(धाराएँ ११ और १७ देखिए)

	रुपये
३० वर्षों की सदस्यता	३,००,०००
२९ वर्षों की सदस्यता	२,९०,०००
२८ वर्षों की सदस्यता	२,८०,०००
२७ वर्षों की सदस्यता	२,७०,०००
२६ वर्षों की सदस्यता	२,६०,०००
२५ वर्षों की सदस्यता	२,५०,०००
२४ वर्षों की सदस्यता	२,४०,०००
२३ वर्षों की सदस्यता	२,३०,०००
२२ वर्षों की सदस्यता	२,२०,०००
२१ वर्षों की सदस्यता	२,१०,०००
२० वर्षों की सदस्यता	२,००,०००
१९ वर्षों की सदस्यता	१,९०,०००
१८ वर्षों की सदस्यता	१,८०,०००
१७ वर्षों की सदस्यता	१,७०,०००
१६ वर्षों की सदस्यता	१,६०,०००
१५ वर्षों की सदस्यता	१,५०,०००
१४ वर्षों की सदस्यता	१,४०,०००
१३ वर्षों की सदस्यता	१,३०,०००
१२ वर्षों की सदस्यता	१,२०,०००
११ वर्षों की सदस्यता	१,१०,०००
१० वर्षों की सदस्यता	१,००,०००
९ वर्षों की सदस्यता	९०,०००
८ वर्षों की सदस्यता	८०,०००
७ वर्षों की सदस्यता	७०,०००
६ वर्षों की सदस्यता	६०,०००
५ वर्षों की सदस्यता	५०,०००
४ वर्षों की सदस्यता	४०,०००।"।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.